# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

## पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2015RAAJu225RTA003 Prakashchandra etc Vs Babulal

1. प्रकाशचन्द्र पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
2. नवरतनमल पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
3. राधेश्याम पुत्र सोनराज ब्राहम्ण
4. पिस्ता पुत्री सोनराज ब्राहम्ण
   निवासीगण कालाउना, तहसील बिलाडा
   जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र (फौत) जरिये कायममुकामान-
   a. भंवरी पत्नी बाबूलाल
   b. माणकलाल पुत्र बाबूलाल
      निवासीगण गजानन्द कॉलोनी, गायत्री सदन के सामने
      सूथला, चौपासनी रोड, जोधपुर
2. फुसाराम पुत्र रामचन्द्र
3. ओमप्रकाश पुत्र रामचन्द्र
4. लालचन्द पुत्र रामचन्द्र
5. सुगनचन्द्र पुत्र रामचन्द्र
6. छोटाराम पुत्र सिरदाराराम
7. मोतीराम पुत्र सिरदाराराम
8. खेमचन्द पुत्र ढगलाराम
9. लक्ष्मीनारायण पुत्र ढगलाराम
10. तेजराम पुत्र ढगलाराम
11. द्वारकादास पुत्र हापूराम
12. गुदडराम पुत्र अन्नराज के कायममुकामान--
    a. अजोध्या देवी पत्नी गुदडराम
    b. संतोष पुत्री गुदडराम
    c. राजेन्द्र कुमार पुत्र गुदडराम
    d. सम्पतराज गौड पुत्र गुदडराम
    e. प्रमोद कुमार गौड पुत्र गुदडराम
       निवासीगण कालाउना, तहसील बिलाडा
       जिला जोधपुर
13. घीसाराम पुत्र अन्नराम ब्राहम्ण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

14. जनार्दनलाल पुत्र भगवानदास
15. जयनारायण पुत्र भगवानदास
16. हरिशचन्द्र पुत्र भगवानद्रास
    निवासीगण कालाउना, तहसील बिलाडा
    जिला जोधपुर
17. नाथीदेवी पत्नी सोहनलाल (फौत)जरिये कायममुकामान-
    a. बुद्धाराम पुत्र सोहनलाल
    b. सुरेश पुत्र सोहनलाल
       निवासीगण मकान संख्या 156 प्रताप नगर द्वितीय देवली अरब रोड बोरखेडा कोटा
    c. शारदा पुत्री सोहनलाल इन्दोरिया पत्नी सोहनलाल व्यास(ब्राहम्ण) निवासी टेवाली वाया सोमेसर तहसील व जिला पाली
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा, जिला जोधपुर

----- **रेस्पो.**

**अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सहायक कलेक्टर बिलाडा दिनांक 16 दिसम्बर 2014 राजस्व प्रकरण संख्या 74/2012 बाबूलाल व अन्य बनाम प्रकाशचन्द्र इत्यादि**

----- 0 -----

**उपस्थित-**

श्री रूघाराम चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री गणपतलाल चौथरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1 से 17
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता - रेस्पो. 18

# नि र्ण य

**दिनांक** : 18 नव., 2019

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर, बिलाडा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 74/2012 बाबूलाल व अन्य बनाम प्रकाशचन्द्र इत्यादि में पारित में आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2014 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 7 जनवरी 2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण- रेस्पो. संख्या एक से सात ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम कालाउना तहसील बिलाडा स्थित निम्नलिखित आराजियात बाबत खातेदारी अधिकारों की घोषणा, माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश कर जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजियात वादीगण/रेस्पो. संख्या एक से सात तथा अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण संख्या एक से चार एवं प्रतिवादीगण संख्या 8 से 17 की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें वादीगण का एक-चौथाई, प्रतिवादीगण सं.

| क्र. | खसरा सं. | रकबा | |
|---|---|---|---|
| | | बीघा | बिस्वा |
| 1 | 277 | 8 | 09 |
| 2 | 278 | 2 | 16 |
| 3 | 279 | 1 | 14 |
| 4 | 280 | 9 | 16 |
| 5 | 281 | 7 | 16 |
| 6 | 282 | 10 | 04 |
| 7 | 283 | 1 | 14 |
| 8 | 285 | 10 | 02 |
| 9 | 341 | 5 | 08 |
| 10 | 344 | 12 | 00 |
| 11 | 346 | 7 | 05 |
| 12 | 348 | 5 | 17 |
| 13 | 350 | 6 | 17 |
| 14 | 351 | 6 | 06 |
| 15 | 1070/349 | 1 | 06 |
| | योग | 97 | 10 |

एक से सात का एक-चौथाई, प्रतिवादीगण संख्या 8 से 11 का एक-चौथाई एवं प्रतिवादीगण संख्या 12 से 14 का एक-चौथाई हक-हिस्सा घोषित किया जाकर तदनुसार बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी की जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 10 सितम्बर 2012 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, वाद

विचाराधीन रहने के दौरान दिनांक 07 अक्तूबर 2014 को वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से सात की ओर से एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम एक सीपीसी पेश कर जाहिर किया गया कि पूर्व में पक्षकारान के मध्य वादग्रस्त आराजियात से संबंधित एक वाद संख्या 4/2002 पेश किया गया, जिसका अंतिम निस्तारण दिनांक 02 जून 2014 को हो चुका है और वादीगण-रेस्पो. को उनका याचित अनुतोष प्राप्त हो चुका है, इसलिए अब इस वाद को चलाने में उनकी रुचि नहीं है, किन्तु यदि वाद संख्या 4/2002 में पारित निर्णय व डिकी के खिलाफ प्रतिपक्षी अपील आदि किसी चाराजोई में जाकर कोई अनुतोष प्राप्त कर लेते है तो उन्हें वादीगण-रेस्पो. का काफी नुकसान हो जावेगा। अतः नया वाद पेश करने की अनुमति सहित आलौच्य वाद विदड्रा करने की अनुमति प्रदान की जावे।

उक्त वाद का जबाब पेश कर प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से जाहिर किया गया कि यदि वादी-पक्ष किसी त्रुटि के परिमार्जन के लिए वाद विद्ड्रा करता है तो न्यायालय द्वारा उसे नया दावा पेश करने की अनुमति अवश्य दी जा सकती है, मगर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति अपीलीय न्यायालय के निर्णय पर आधारित नहीं हो सकती है।

अधीनस्थ न्यायालय. द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 16 दिसम्बर 2014 के जरिये नया दावा पेश करने का अधिकार अपीलीय न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष्य रखते हुए उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित नहीं किया गया है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि वादी-पक्ष का वाद जरिये विदड्रा खारिज किया जाता है प्रतिवादीगण का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

काउण्टर क्लेम मेरिट पर निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है। वाद खारिज हो जाने की स्थिति में काउण्टर क्लेम को दावा माना जावेगा। मगर आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लेम का निस्तारण ही नहीं किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि दोनों वादों में वांछित अनुतोष एक समान ही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। पूर्ववर्ती वाद संख्या 4/2002 में मूल वाद तथा वर्तमान वाद संख्या 74/2012 में काउण्टर क्लेम दोनों की इतस्दुआँ एक समान है, इसी प्रकार पूर्ववर्ती वाद संख्या 4/2002 में काउण्टर क्लेम तथा वर्तमान वाद संख्या 74/2012 में मूल वाद दोनों की इतस्दुआँ एक समान है, और वादग्रस्त आराजियात तो एक है ही। अतः ऐसी स्थिति में मूल वाद निस्तारित होने के बाद काउण्टर क्लेम बकाया रखने का कोई औचित्य नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

आलौच्य अपील अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 23 नियम एक के प्रार्थनापत्र पर पारित आदेश के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत प्रस्तुत की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 में ऐसे आदेश के खिलाफ अपील पेश किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। सीपीसी के आदेश 43 के प्रावधानों का भी अवलोकन किया। इसके तहत भी उपरोक्त आदेश की अपील का कोई प्रावधान इसमें निहित नहीं है। न ही अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने ऐसा कोई प्रावधान अथवा कोई नजीर अदालत

हाजा के समक्ष पेश की जिससे यह अपील उक्त धारा के तहत अदालत हाज के समक्ष पोषणीय पायी जावे।

अतः प्रस्तुत अपील अदालत हाजा में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत संधारणीय नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर